

No. HQ/PIO/RTI/213/15

Date: 30.06.2015

श्री मुलायमसिंह यादव,  
नगला मुछारिया पोस्ट साम्हों,  
थाना भरथना, जनपद इटावा।



ED 85948632 9 IN

Sub: Information under RTI Act- 2005.

Ref.: Your application dt.19.05.2015, received in this office on 25.05.2015.

उपरोक्त विषय पर संबंधित विभाग से प्राप्त प्रस्तरवार सूचना निम्नलिखित है:-

1. ग्राम-साम्हों, विकास खण्ड भरथना, जनपद-इटावा की डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इण्डिया की परियोजना के एलाइन्मेंट में आने वाली ग्राम सभा की कुल 0.6850 हे. भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया है जिसके सापेक्ष राशि रु. 5,50,958/- (रुपये पाँच लाख पचास हजार नौ सौ अठ्ठावन मात्र) को जिलाधिकारी इटावा के निर्देशानुसार राजकीय कोषागार इटावा में जमा किया गया है। पुनर्ग्रहण के सापेक्ष कोई भी भुगतान अवशेष नहीं है।
2. अपेक्षित सूचना सीपीएम/टुण्डला कार्यालय से संबंधित नहीं है। निर्माण एजेंसी टाटा-एल्लिसा कम्पनी से सूचना प्राप्त की जा सकती है।
3. जनपद-इटावा के सैफई तहसील के दो ग्राम चकूपुर तथा उमरई ग्राम की परियोजना के एलाइन्मेंट में आने वाली भूमि का भी अर्जन किया गया है जिसके प्रतिकर का निर्धारण रेलवे संशोधित अधिनियम-2008 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भूमि का मूल्यांकन करके रु.6,00,000/- (रुपये छः लाख मात्र) प्रति हे. निर्धारित किया गया है। ग्राम-चकूपुर की भूमि द्वितीय चरण में भी अर्जित की गयी है, जिसका नियमानुसार मूल्यांकन कर रु.7,42,000:- (रुपये सात लाख बयालिस हजार मात्र) प्रति हे. प्रतिकर निर्धारित किया गया है।
4. अपेक्षित सूचना सीपीएम/टुण्डला से सम्बंधित नहीं है। निर्माण एजेंसी टाटा-एल्लिसा कम्पनी से सूचना प्राप्त की जा सकती है।



(Rajesh Chopra)

Manager/Admn. & PIO

Copy to:- CPM/Tundla



ED 85948631 5 IN